

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 8901

दिनांक: 28/10/2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 21.08.2025 द्वारा श्री सुरेश पार्षद वार्ड नं0 32 नगर परिषद, कुचामन-सिटी जिला-(डीडवाना) के सभापति के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेश पार्षद वार्ड नं0 32 को नगर परिषद कुचामन-सिटी जिला-(डीडवाना) के सभापति के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 8902-8913 दिनांक: 28/10/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर/जिला कलक्टर डीडवाना।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
8. उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी।
9. आयुक्त अधिकारी, नगर परिषद कुचामन-सिटी जिला-(डीडवाना)।
10. सभापति नगर परिषद कुचामन-सिटी जिला-(डीडवाना)।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव